

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 110/2016 ई.फौ.

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 110/2016 ई.फौ.

संस्थापित दिनांक 14/03/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. बॉबी पुत्र सुरेश जाटव उम्र 32 वर्ष
  2. सुरेश पुत्र जयराम जाटव उम्र 54 वर्ष
  3. श्रीमती मीना जाटव पत्नी सुरेश जाटव उम्र 50 वर्ष
  4. बंटू पुत्र सुरेश जाटव उम्र 23 वर्ष
  5. कु0 निशा पुत्री सुरेश जाटव उम्र 25 वर्ष
- समस्त निवासीगण— झंडू मोहल्ला कस्बा मौ जिला भिण्ड

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—498ए, 294, 506 भाग—2 भा.द.वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधि.की धारा 4)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य ।)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री महेश श्रीवास्तव ।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 24.05.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 28.01.2015 से निरंतर, फरियादी निर्मला की ससुराल स्थित वार्ड क्र0 10 टंकी रोड़ झण्डू मोहल्ला मौ में फरियादी निर्मला के पति/नातेदार होकर फरियादी निर्मला से दहेज एक लाख रूपए की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादी निर्मला की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने, फरियादी निर्मला को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे बसुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी निर्मला को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं फरियादी निर्मला से एक लाख रूपए दहेज की मांग करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294 एवं 506 भाग—2 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया निर्मला जाटव का विवाह दिनांक 28.02.2015 में आरोपी बॉबी जाटव के साथ हुआ था। शादी में उसके परिवार वालों ने 80,000/— रूपए नगद, सोने चांदी के जेवर, दोपहिया गाड़ी एवं गृहस्थी का पूरा सामान दिया था। शादी के बाद से ही फरियादिया की ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे और उसकी मारपीट शुरू कर दी थी। उसके सास ससुर, पति, देवर, ननद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उसे अश्लील गालियां देते हैं। उसकी सास उसे दहेज का ताना मारती है तथा उससे अपने मायके से एक लाख रूपए लाने के लिए कहती है जब वह मना करती है तो उसकी सास उसके साथ मारपीट करती है, सभी लोग एक राय

होकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं परन्तु वह सारे अत्यचार सहन करती रही है। उसकी सास उसे खड़े होकर पिटवाती है तथा जब उसके मायके वाले उससे मिलने आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, आय दिन उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे हैं, उसका पति रात में उसकी मारपीट करता है तथा उसे कमरे से बाहर निकाल देता है, वह पूरे घर का काम करती है फिर भी सभी लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार उसकी मारपीट करके उसे घर से भगा दिया है लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे समझा बुझा कर भेज दिया है। इसी बीच वह गर्भवती हो गई थी तो सभी लोग उसे ज्यादा परेशान करने लगे थे, सभी लोग एक राय होकर उसकी मारपीट करते हैं। उसके सास ससुल उसके पति से कहते हैं कि तू इसे भगा दे, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। करीब चार माह पहले उसकी सास मीना ने उससे कहा था कि अगर तुझे यहां रहना है तो मायके से एक लाख रूपए लाने होंगे जब उसने रूपए लाने से मना किया था तो उसका पति बॉबी, ससुर सुरेश, देवर बंटू, ननद निशा सभी एक राय होकर आ गये थे तथा बुरी तरह से उसकी मारपीट की थी, सभी लोगों ने उसे खींचकर कमरे में बंद करके लात घूसों से उसकी मारपीट की थी, उसके पति ने उसका मुंह बंद कर दिया था तथा सास ने उसके हाथ पकड़ लिये थे तथा पति एवं ननद ने उसके पेट में लाते मारी थी जिससे उसके शरीर में मुदी चोटें आई थी। उसकी सास ने उसके पूरे सोने चांदी के जेवर छीन लिये थे और उसे पहने हुए कपड़ों में भगा दिया था तथा सभी ने धमकी दी थी कि खाली हाथ मत आना, खाली हाथ आई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में महिला थाना पड़ाव में लेखीय आवेदन दिया गया था एवं उक्त आवेदन के आधार पर महिला थाना पड़ाव में जीरो पर कायमी की गई थी तथा तत्पश्चात् मामला पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड के क्षेत्राधिकार का होने से आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्र० 264/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी निर्मला जाटव द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा.दं.सं. की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.01.2015 से निरंतर वार्ड क्र० 10 टंकी रोड़ झण्डू मोहल्ला मौ में फरियादी निर्मला के पति/नातेदार होकर फरियादी निर्मला से दहेज की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया निर्मला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया निर्मला से दहेज में एक लाख रुपये की मांग की ?

### 3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 110/2016 ई.फौ.

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी निर्मला अ.सा.1, साक्षी राजकुमार अ.सा.2, देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3, सिरनाम अ.सा. 4, सावित्रीबाई अ.सा. 5, सहायक उपनिरीक्षक रणवीर सिंह अ.सा. 6 एवं प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह अ.सा. 7 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में सोमवीर शिवहरे ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया निर्मला बानो अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी आरोपी बॉबी से दिनांक 28.01.2015 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उसकी मां ने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। उसके मां बाप ने उसकी शादी में सोने का बेंदा, बेसर, चूड़ी, झुमकी, करधौनी, पायल, दोपहिया गाड़ी के लिए अस्सी हजार रुपए नगद एवं दो लाख रुपए नगद तथा घर गृहस्थी का सामान दिया था। वह जब शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल गई थी तो वह सामान्य रूप से रही थी, उन लोगों ने उससे कुछ नहीं कहा था, जब वह दूसरी बार ससुराल आई थी तो उसके पति आरोपी बॉबी, ससुर सुरेश, सास मीना, देवर बंटू एवं ननद निशा ने उसकी मारपीट शुरू कर दी थी और उसे गालियां देने लगे थे, उक्त सभी लोग उसके मां बाप को कोसते हुए कहते थे कि तू दहेज में जो सामान लेकर आई है, वह सब कचरा है उसके बाद आरोपीगण ने उसे कमरे में बंद कर दिया था सभी आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे, उसके पति ने उसका मुंह बंद कर दिया था उस समय वह गर्भवती थी, उसकी ननद ने उसके पेट में लात मारी थी, सभी आरोपीगण उससे दहेज में एक लाख रुपए अपने मायके से लाने के लिए कहते थे, जब उसके मायके वाले उससे मिलने जाते थे तो आरोपीगण उन लोगों को मिलने नहीं देते थे। उसके बाद आरोपीगण उसे ज्यादा परेशान करने लगे थे और उसकी डंडो एवं लात घूंसी से उसकी मारपीट करने लगे थे। आरोपीगण ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था फिर वह अपने मायके आई थी और उसने अपने मम्मी पापा एवं भाईयों को घटना के बारे में बताया था उसके बाद उसके भाई, पापा, मौसा जी एवं फूफा जी आरोपीगण के घर बातचीत करने गये थे तो आरोपीगण ने उसके घरवालों से बात न करते हुए उन्हें गाली देकर गेट लगाकर भगा दिया था। उसके बाद वह अपनी मम्मी पापा एवं भाईयों को लेकर महिला थाने रिपोर्ट करने गई थी तो महिला थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी फिर वह पुलिस अधीक्षक ग्वालियर गई थी तत्पश्चात् उसकी रिपोर्ट लिखी गई थी। उसने महिला थाना पड़ाव में लेखीय आवेदन दिया था जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह शादी के 10-15 दिन बाद पहली बार अपने मायके गई थी। आरोपीगण ने उससे अकेले में दहेज मांगने वाली बात कही थी, उसने उसी समय आरोपीगण की दहेज मांगने की महिला थाने में रिपोर्ट की थी, पद क्र0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि जब वह दूसरी बार ससुराल गई थी तब उसे मायके से लेने कोई नहीं आया था, उसके पति ने उसे बस में बैठा दिया था। वह अपनी मर्जी से मायके नहीं गई थी, आरोपीगण ने मारपीट कर उसे भगा दिया था मायके पहुंचने के बाद उसने महिला थाने में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। पद क्र0 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि शादी के दो महीने बाद उसके पति ने उसे बस में बैठा दिया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि मार्च 2015 में उसने या उसके घर वालों में



#### 4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 110/2016 ई.फौ.

आरोपीगण के विरुद्ध महिला थाने में रिपोर्ट नहीं की थी एवं व्यक्त किया है कि अप्रैल माह में की थी फिर कहा कि सितम्बर माह में की थीं उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मार्च 2015 से सितम्बर 2015 के मध्य आरोपीगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी। पद क्र० 9 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह आखिरी बार अपनी ससुराल अप्रैल 2015 में गई थी जहां पर वह दो-तीन दिन रुकी थी। आरोपीगण द्वारा भगा दिये जाने के कारण वह अपने मायके में आ गई थी। अप्रैल 2015 के बाद वह कभी भी अपनी ससुराल में नहीं गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि अप्रैल 2015 के बाद रिपोर्ट करने पर आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने महिला थाने में परामर्श के दौरान मांग की थी।

11. साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 एवं देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 ने भी फरियादी निर्मला अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने बावत् प्रकटीकरण किया है।

12. साक्षी सिरनाम सिंह अ०सा० 4 एवं सावित्री बाई अ०सा० 5 द्वारा फरियादी निर्मला अ०सा० 1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया है कि निर्मला की घरेलू कार्य को लेकर उसकी ससुराल वालों से नोक झोंक हो जाती थी, इसी कारण उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। उक्त दोनों साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादिया से दहेज की मांग करते थे तथा उसे प्रताड़ित करते थे।

13. प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह अ०सा० 7 द्वारा प्र०पी० 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमादित किया गया है एवं सहायक उपनिरीक्षक रणवीर सिंह गुर्जर अ०सा० 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. बचाव पक्ष की ओर से सोमवीर शिवहरे ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है। साक्षी सोमवीर शिवहरे ब०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण का घर उसके पास में है। बॉबी के लगुन फलदान एवं विवाह में वह उपस्थित हुआ था। बॉबी के ससुर एवं साले बॉबी एवं निर्मला को ग्वालियर ले गये थे, बॉबी एवं निर्मला मय सामान ग्वालियर चले गये थे। दस पंद्रह दिन बाद बॉबी के ससुर राजकुमार और साला देवेन्द्र आये थे तथा उन्होंने कहा था कि बॉबी को हिस्सा दे दो, जिस पर बॉबी के पिता सुरेश ने कहा था कि बच्ची का विवाह होने के पश्चात् हिस्सा दे देगे। इसी बात पर बॉबी के साले एवं ससुर नाराज होकर चले गये थे एवं बॉबी को देख लेने की धमकी दी थी।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी निर्मला अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद जब वह पहली बार अपनी ससुराल गई थी तब वह ससुराल में अच्छी तरह से रही थी। जब वह दूसरी बार अपनी ससुराल आई थी तो आरोपीगण ने उसकी मारपीट शुरू कर दी थी और उसे गालियां देने लगे थे परन्तु यह बात फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 द्वारा अपने आवेदन प्र०पी० 1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 तथा पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 7 में नहीं बताई गई है।

फरियादिया द्वारा अपने आवेदन प्र०पी० 1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 तथा प्र०पी० 7 में यह बताया गया है कि शादी के बाद से ही आरोपीगण उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा उसकी मारपीट करते थे जबकि फरियादिया अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया गया है कि जब वह शादी के बाद जब वह पहली बार अपनी ससुराल गई थी तब वह ठीक तरह से रही थी एवं जब वह दूसरी बार अपनी ससुराल गई थी तब आरोपीगण ने उसकी मारपीट शुरू कर दी थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी निर्मला अ०सा० 1 के कथन अपने आवेदन प्र०पी० 1 तथा पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 7 से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपीगण उसके मां बाप को कोसते हुए कहते थे तू दहेज में जो भी सामान लेकर आई है, वह सब कचरा है परन्तु यह बात भी फरियादी निर्मला अ०सा० 1 द्वारा अपने आवेदन प्र०पी० 1, रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 7 में नहीं बताई गई है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी निर्मला अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 के आवेदन एवं प्र०पी० 2 तथा प्र०पी० 7 की पुलिस रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। उक्त तथ्य अत्यंत तात्विक है जो फरियादी के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. फरियादी निर्मला अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपीगण ने उसे कमरे में बंद कर दिया था तथा उसकी मारपीट की थी एवं उस समय वह गर्भवती थी तथा उसकी ननद ने उसके पेट में लात मारी थी परन्तु मारपीट की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट फरियादिया द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, फरियादिया द्वारा यह भी बताया गया है कि उसकी ननद ने उसकी गर्भावस्था के दौरान उसके पेट में लात मारी थी परन्तु उक्त संबंध में भी कोई चिकित्सकीय प्रमाण फरियादिया द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। फरियादिया द्वारा ऐसी कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण द्वारा गर्भावस्था के दौरान फरियादिया निर्मला की मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई गई थी। ऐसी स्थिति में फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 का यह कथन कि आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे एवं उसकी ननद ने उसकी गर्भावस्था के दौरान उसके पेट में लात मारी थी, संदेहास्पद हो जाता है।

18. फरियादी निर्मला अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरोपीगण उसे ज्यादा परेशान करने लगे थे एवं डंडे तथा लात घूसों से उसकी मारपीट करने लगे थे तथा आरोपीगण ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो वह अपने मायके आ गई थी तो फिर उसने घटना के बारे में अपने मायके वालों को बताया था तो उसके भाई, पापा, मौसा एवं फूफा जी आरोपीगण के घर बातचीत करने गये थे परन्तु आरोपीगण ने उसके घरवालों से बात नहीं की थी और उन्हें गाली देकर भगा दिया था परन्तु उक्त तथ्यों का उल्लेख फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 के आवेदन प्र०पी० 1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 7 में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 के कथन उसके आवेदन प्र०पी० 1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 7 से पुष्ट नहीं रहे हैं, यह तथ्य भी फरियादी के कथनों को संदेहास्पद बना देता है।

19. फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि जब वह दूसरी बार अपनी ससुराल गई थी तब आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग की थी एवं उसी समय उसने महिला थाना जाकर रिपोर्ट की थी। परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट फरियादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि शादी के दो महीने बाद ही उसके पति ने उसे बस में बैठा दिया था और वह मायके पहुंच गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आखिरी बार अपनी ससुराल अप्रैल 2015 में गई थी तथा आरोपीगण द्वारा भगा दिये जाने पर वह अपने मायके आ गई थी। अप्रैल 2015 के बाद वह अपनी कभी

अपनी ससुराल नहीं गई है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अप्रैल 2015 के बाद रिपोर्ट करने तक आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी इसके तुरंत पश्चात् ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि महिला थाने में परामर्श के दौरान आरोपीगण ने दहेज की मांग की थी परन्तु महिला परामर्श केन्द्र की आदेश पत्रिकाओं की प्रतिलिपि प्र०डी० 2 जो प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसमें यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा महिला परामर्श केन्द्र में फरियादिया द्वारा दहेज की मांग की गई थी यदि वास्तव में आरोपीगण द्वारा महिला परामर्श केन्द्र में फरियादिया द्वारा दहेज की मांग की जाती तो इसका उल्लेख प्र०डी० 2 की आदेश पत्रिका में अवश्य होता परन्तु प्र०डी० 2 की आदेश पत्रिका में यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादिया से महिला परामर्श केन्द्र में भी दहेज की मांग की थी ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर भी फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 का कथन विश्वसनीय नहीं है एवं फरियादी के उक्त कथन से यह संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग की गई थी एवं उसे प्रताड़ित किया जाता था।

20. फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे तथा उसकी मारपीट करते थे एवं उसके पति ने उसे बस में बैठा कर भगा दिया था परन्तु फरियादिया निर्मला यह बताने में असमर्थ रही है कि आरोपीगण ने किस तारीख, किस महीने एक लाख रुपए दहेज की मांग की थी एवं यह बताने में भी असमर्थ रही है कि आरोपीगण ने किस तारीख को उसके पेट में लात मारी थी। इस प्रकार फरियादिया अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा यह सामान्य कथन किया गया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे एवं उसे प्रताड़ित करते थे परन्तु फरियादिया द्वारा दहेज की मांग की अथवा मारपीट की किसी विशिष्ट घटना का कथन नहीं किया गया है। फरियादिया निर्मला अ०सा० 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपीगण ने उससे महिला परामर्श केन्द्र पड़ाव ग्वालियर में भी दहेज की मांग की थी परन्तु इस तथ्य की पुष्टि प्र०डी० 2 की आदेश पत्रिका से नहीं हो रही है इसके विपरीत प्र०डी० 2 की आदेश पत्रिका में यह वर्णित है कि आरोपी बॉबी निर्मला को किराये के मकान में अपने साथ रखना चाहता था जबकि फरियादिया किराये के मकान में रहने को तैयार नहीं थी बल्कि फरियादिया एवं उसके पिता चाहते थे कि फरियादिया बॉबी के पिता के मकान में रहे। प्र०डी० 2 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यही दर्शित होता है कि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य मुख्य विवाद मकान का था तथा आरोपी बॉबी के पिता ने उक्त मकान बेच दिया था जिसकी रजिस्ट्री होनी थी जबकि फरियादिया उसी मकान में रहना चाहती थी। इस प्रकार प्र०डी० 2 की महिला परामर्श केन्द्र की पत्रावली से भी यही प्रकट होता है कि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य मुख्य विवाद साम्प्रतिक है एवं फरियादिया द्वारा आरोपीगण पर दबाव बनाने के आशय से आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट की गई है।

21. जहां तक साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 एवं देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 एवं देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा एक लाख रुपए दहेज की मांग करना तथा फरियादिया निर्मला को प्रताड़ित करना बताया है। साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसके दामाद बॉबी ने उसे फोन करके बुलाया था तथा जब वह वहां गया था तो बॉबी ने उससे कहा था कि उसे अपनी बहन की शादी करनी है अतः उन्हें एक लाख रुपए चाहिए परन्तु यह बात साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी राजकुमार अ०सा० 2 के कथन उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं। साक्षी देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग करना बताया है परन्तु आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने के संबंध में स्वयं फरियादी निर्मला अ०सा० 1 के कथन संदेहास्पद रहे हैं ऐसी स्थिति में साक्षी देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 के कथनों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।



22. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी निर्मला अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे परन्तु यह बात साक्षी सिरनाम अ0सा0 4 जो कि फरियादी निर्मला का चाचा है एवं सावित्री बाई अ0सा0 5 जो निर्मला की मां है द्वारा नहीं बताई गई है। साक्षी सिरनाम अ0सा0 4 एवं सावित्री अ0सा0 5 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घरेलू कार्यों को लेकर फरियादिया निर्मला की उसकी ससुराल वालों से नोक झोंक हो गई है, इस प्रकार फरियादिया निर्मला अ0सा0 1 के कथन का समर्थन स्वयं उसकी मां सावित्री एवं सिरनाम अ0सा0 4 द्वारा नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। ?

23. आरोपीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि फरियादिया निर्मला के पिता एवं भाई उनसे आरोपी बाँबी को सम्पत्ति में हिस्सा देने के लिए कहते थे तथा आरोपी सुरेश द्वारा हिस्सा देने से मना कर दिया गया था इसी कारण फरियादिया निर्मला द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में साक्षी सोमवीर शिवहरे ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जो महिला परामर्श केन्द्र पडाव की पत्रावली प्र0डी0 2 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उनसे यह दर्शित होता है कि आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य मुख्य विवाद मकान का है तथा फरियादिया आरोपीगण के मकान में ही रहना चाहती है, किराये के मकान में नहीं रहना चाहती है एवं आरोपीगण तथा फरियादिया में मध्य मुख्य विवाद मकान का है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण का यह कथन अधिक सत्य प्रतीत होता है कि फरियादिया द्वारा सम्पत्ति संबंधी विवाद के कारण आरोपीगण पर दबाव बनाने के आशय से आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है।

24. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी निर्मला अ0सा0 1, राजकुमार अ0सा0 2, देवेन्द्र सिंह अ0सा0 3, सिरनाम अ0सा0 4 एवं सावित्रीबाई अ0सा0 5 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी निर्मला अ0सा0 1 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 1 के आवेदन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया निर्मला अ0सा0 1 ने आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादिया ने अपने कथन में यह बताया है कि वह अप्रैल 2015 में अपनी ससुराल से मायके आ गई थी परन्तु उसके द्वारा घटना के संबंध में महिला परामर्श केन्द्र में दिनांक 13.10.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से की गई है एवं विलम्ब का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। फरियादिया द्वारा किसी विशिष्ट घटना का कथन भी नहीं किया गया है। फरियादिया के कथनों की पुष्टि महिला परामर्श केन्द्र की पत्रावली प्र0डी0 2 से भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से एक लाख रुपए दहेज की मांग की गई थी एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया की मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया गया था।

25. कूरता रहित दाम्पत्य जीवन का निर्वाह हर स्त्री का अधिकार है परन्तु इस कारण किसी भी स्त्री को विधिक प्रावधानों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया निर्मला से दहेज में एक लाख रुपए की मांग की गई थी एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया निर्मला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की गई थी, ऐसी

स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

26. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

27. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 28.01.2015 से निरंतर वार्ड क0 10 टंकी रोड़ झण्डू मोहल्ला मौ में फरियादी निर्मला के पति/नातेदार होकर फरियादी निर्मला से दहेज में एक लाख रुपए की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया निर्मला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी बॉबी जाटव, सुरेश जाटव, मीना जाटव, बंटू एवं निशा को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0दं0सं0 की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

28. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

29. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –24.05.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)